

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरु
पीठासीन अधिकारी श्री उगमसिंह राजपुरोहित, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा
82/2019

किस्म मुकदमा
दावा 53, RTA

ता0 दायरा
22.08.2019

निर्णय तिथि
27.01.2023

श्रीमती विमला देवी पत्नी रामदेव जाति मेघवाल निवासी बीनासर तह. चूरु हाल निवासी
वार्ड नं. 14 शेखावत कॉलोनी चूरु (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. कालूराम पुत्र झाबरमल जाति नायक निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरु
- 1./1 सुरेन्द्र
- 1./2 गोविन्द उर्फ ठिकरिया } पुत्र-पुत्रीगण कालूराम जाति नायक निवासी बीनासर तह. व
जिला चूरु(राज.)
- 1./3 सीमू देी
2. नोरंग राम } पुत्र गण झाबरमल जाति नायक निवासी बीनासर तह. व जिला चूरु
3. सुल्तान }
4. मनोहरी पत्नी झाबरमल जाति नायक निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरु(राज.)
5. संतोष पत्नी लिछमण राम } जाति नायक निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरु
6. धर्म पाल } पुत्रगण लिछमण } (राज.)
7. भंवर लाल }
8. उप पंजीयक चूरु, तहसीलदार चूरु
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरु (राज.)

—प्रतिवादीगण—



दावा कृषि भूमि विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

उपस्थित -

1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादी
2. अधिवक्ता आनन्द प्रजापत

निर्णय

तहसीलदार चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।
उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव
में वादी के अतिरिक्त अन्य खातेदारों को मौके पर उपस्थित नहीं आये। दावा वादी स्वीकार
किया जाता है। वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. 657/351 तादादी 1.3152 हैक्टेयर, खं नं.
660/362 तादादी 1.5302 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 665/429 तादादी 1.2646 हैक्टेयर
कुल कित्ता 03 कुल तादाद 4.1100 हैक्टेयर वादीनी एवं प्रतिवादीगण 01 ता 07 की संयुक्त
खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। जिसमें से वादीगण 1/2 (1/6 + 1/6 =
1/2) हिस्से की वादी की एवं शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के हिस्से में खातेदारी

उम
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

का है। । जिसमें वादीनी 1 व प्रतिवादीगण 1 ता 07 व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में से खरीददार के मध्य निम्न प्रकार से खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	नाम खातेदार मय पिता/पति का नाम	खसरा नम्बर रोही ग्राम दूधवा मीठा	तादादी हैक्टैयर
1	1. विमलादेवी पत्नी रामदेव जाति मेघवाल नि. बीनासर	660/362	0.6955 हैक्टैयर
	1. कालूराम पुत्र झाबरराम हिस्सा 13/54 जाति नायक निवासी बीनासर खातेदार	657/351	1.3152 है.
	2. नोरंगराम पुत्र झाबरराम हिस्सा 5/54 जाति नायक निवासी बीनासर खातेदार	665/429	1.2646 है.
	3. मोहरी पत्नी झाबरराम हिस्सा 13/54 जाति नायक निवासी बीनासर खातेदार	660/362	0.8347 है.
	4. लिछमण पुत्र झाबरराम हिस्सा 2/54 जाति नायक निवासी बीनासर खातेदार		
	5. विनोद कुमार दुर्गादत हिस्सा 8/54 जाति खटीक निवासी चूरु खातेदार		
	6. सुल्तान पुत्र झाबरराम हिस्सा 13/54 जाति नायक निवासी बीनासर खातेदार		

तहसीलदार चूरु को निर्देशित किया जाता है कि अगर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो बाद जांच निर्णय व डिक्री व संलग्न नक्शे के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान पृथक्-पृथक् कायम करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरु

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मुकाम चूरु

श्रीमती विमला देवी पत्नी रामदेव जाति मेघवाल निवासी बीनासर तह. चूरु हाल निवासी
वार्ड नं. 14 शेखावत कॉलोनी चूरु (राज.)

-वादीगण-

बनाम

1. कालूराम पुत्र झाबरमल जाति नायक निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरु
- 1./1 सुरेन्द्र
- 1./2 गोविन्द उर्फ ठिकरिया
- 1./3 सीमू दी
2. नोरंग राम
3. सुल्तान
4. मनोहरी पत्नी झाबरमल जाति नायक निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरु(राज.)
5. संतोष पत्नी लिछमण राम
6. धर्म पाल
7. भंवर लाल
8. उप पंजीयक चूरु, तहसीलदार चूरु
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरु (राज.)


-प्रतिवादीगण-

-दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 82 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व अधिवक्ता आनन्द प्रजापत एडवोकेट प्रतिवादी एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदाएला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

दावा वादी स्वीकार किया जाता है। वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. 657/351 तादादी 1. 3152 हैक्टेयर, खं नं. 660/362 तादादी 1.5302 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 665/429 तादादी 1.2646 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादाद 4.1100 हैक्टेयर वादीनी एवं प्रतिवादीगण 01 ता 07 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काशत की है। । जिसमे से वादीगण 1/2 (1/6+1/6+1/6 = 1/2) हिस्से की वादी की एवं शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के हिस्सेदारी खातेदारी का है। । जिसमें वादीनी 1 व प्रतिवादीगण 1 ता


उपखण्ड अधिकारी
चूरु



07 व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में से खरीददार के मध्य निम्न प्रकार से खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	नाम खातेदार मय पिता/पति का नाम	खसरा नम्बर रोही ग्राम दूधवा मीठा	तादादी हैक्टैयर
1	1. विमलादेवी पत्नी रामदेव जाति मेघवाल नि. बीनासर	660 / 362	0.6955 हैक्टैयर
	1. कालूराम पुत्र झाबरराम हिस्सा 13/54 जाति नायक निवासी बीनासर खातेदार	657 / 351	1.3152 है.
	2. नोरंगराम पुत्र झाबरराम हिस्सा 5/54 जाति नायक निवासी बीनासर खातेदार	665 / 429	1.2646 है.
	3. मोहरी पत्नी झाबरराम हिस्सा 13/54 जाति नायक निवासी बीनासर खातेदार	660 / 362	0.8347 है.
	4. लिछमण पुत्र झाबरराम हिस्सा 2/54 जाति नायक निवासी बीनासर खातेदार		
	5. विनोद कुमार दुर्गादत्त हिस्सा 8/54 जाति खटीक निवासी चूरु खातेदार		
	6. सुल्तान पुत्र झाबरराम हिस्सा 13/54 जाति नायक निवासी बीनासर खातेदार		

तहसीलदार चूरु को निर्देशित किया जाता है कि अगर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो बाद जांच निर्णय व डिक्री व संलग्न नक्शे के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान पृथक्-पृथक् कायम करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा आज दिनांक 27. माह जनवरी सन् 2023 को जारी की गई।



(उगमसिंह राजपुरोहित)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 सहायक कलक्टर,
 चूरु